प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका 227 सं 469/2025

1 – पूनम शुक्ला पति स्वर्गीय संतोष कुमार शुक्ला लगभग 45 वर्ष निवासी कामठी लाइन राजनंदगांव, तहसील तथा निवासी–राजनंदगांव (सी. जी.)

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – राहुल शुक्ला पिता मनोज कुमार शुक्ला, 40 वर्ष– निवासी कामठी रेखा राजनंदगांव, तहसील तथा जिला–राजनंदगांव (सी. जी.) वर्तमान निवास :–मकान संख्या 303, राजेंद्र भवन, एन. टी. पी. सी. कहलगांव, जिला–भागलपुर (बिहार)

––– उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :––श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास।

पीठ पर आदेश

11.06.2025

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2–ए के तहत उत्तरवादी द्वारा दायर आवेदन पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एमजेसी संख्या 150/2019 के पंजीकरण का आरोप लगाया गया है, जो सिविल वाद संख्या 27–ए/2009 में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत 01.10.2009 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए है, जिसके तहत यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

2. अभिलेख से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादी ने वादपत्र की अनुसूची–बी में वर्णित वाद संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा और वाद संपत्ति के ¼ पृथक हिस्से की सीमा तक विभाजन के लिए सिविल वाद संख्या 27–ए/2009 दायर किया है।वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए भी आवेदन दायर किया है और

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.10.2009 के माध्यम से वाद संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।इसके बाद, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने वाद संपत्ति पर निर्माण शुरू कर दिया है, इस प्रकार, आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत 16.10.2019 को आवेदन दायर किया गया था।प्रकरण का अभिलेख यह भी दर्शाता है कि उक्त सिविल वाद 31.10.2019 को खारिज कर दिया गया था।

3. आदेश–पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश XXXIX नियम 2A सीपीसी के तहत शुरू की गई कार्यवाही में सीपीसी के आदेश 18 नियम 4 के तहत प्रदान किए गए शपथ पत्र के माध्यम से वादी की 12.12.2024 को विचारण न्यायालय के समक्ष जांच की गई थी, लेकिन प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकी, इस तरह मामला वादी की प्रतिपरीक्षा के लिए 26.02.2025, 27.02.2025, 03.04.2025, 04.04.2025 को निर्धारित किया गया था और उसके बाद मामला फिर से 07.05.2025 को वादी के साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया था, उसके बाद, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत 08.05.2025 को वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसमें निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ विविध न्यायिक मामले के पंजीकरण को चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है और चूँकि सिविल वाद संख्या 103ए/2011 को विचारण न्यायालय ने 31.10.2019 को खारिज कर दिया है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अपना महत्व खो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीलम गुप्ता एवं अन्य बनाम राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं अन्य {सिविल अपील संख्या 3159–3160/2019, दिनांक 14.10.2024 को निर्णीत}, कंवर सिंह सैनी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय {2012 (4) एससीसी 307} और भारतीय खाद्य निगम बनाम सुखदेव प्रसाद {2009 (5) एससीसी 665}** के मामले में पारित निर्णयों का उल्लेख करते है और प्रस्तुत करते है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर है और पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करते है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों से, निर्धारण हेतु यह बिन्दु उभर कर आया है कि 'क्या निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए आवेदन, मुकदमे के बाद में खारिज होने के तहत मान्य योग्य नहीं है?'

7. वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे के उचित निर्णय के लिए इस न्यायालय के लिए सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों को उद्धृत करना समीचीन है, जो निम्नानुसार हैं:---

"आदेश **XXXIX,** नियम 1 में यह प्रावधान है कि जहाँ किसी वाद में शपथपत्र या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है कि:

(क) कि किसी वाद में विवादित किसी संपत्ति के वाद के किसी भी पक्षकार द्वारा बर्बाद, क्षतिग्रस्त या अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने या गलत तरीके से बेचे जाने का खतरा है,

या (ख) कि प्रतिवादी अपने लेनदारों को धोखा देने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति को हटाने या उसका निराकरण करने की धमकी देता है या ऐसा करने का आशय रखता है, या

(ग) कि प्रतिवादी वाद में विवादित किसी भी संपत्ति के संबंध में वादी को धमकी देता है या बेदखल करता है या अन्यथा वादी को क्षति पहुँचाता है,तो न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे कृत्य को रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान कर सकता है, या संपत्ति के बर्बाद होने, क्षति पहुँचाने, अन्यत्र स्थानांतरित करने, विक्रय, हटाने या निराकरण या वादी के निराकरण या वाद में विवादित किसी भी संपत्ति के संबंध में वादी को अन्यथा क्षति पहुँचाने पर रोक लगाने और उसे रोकने के उद्देश्य से ऐसा अन्य आदेश दे सकता है, जैसा न्यायालय उचित समझे, वाद के निराकरण तक या अगले आदेशों तक।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

● आदेश **XXXIX**, नियम 2 उल्लंघन को रोकने या जारी रखने के लिए निषेधाज्ञा प्रदान करता है:

(1) प्रतिवादी को संविदा का उल्लंघन करने या अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने से रोकने के लिए वाद में, चाहे वाद में प्रतिकर का दावा किया गया हो या नहीं, वादी, वाद के प्रारंभ होने के बाद और निर्णय से पहले या बाद में किसी भी समय, प्रतिवादी को परिवाद किए गए संविदा के उल्लंघन या क्षति या उसी संविदासे उत्पन्न या उसी संपत्ति से संबंधित किसी भी संविदा के उल्लंघन या समान प्रकार की क्षति पहुँचाने से रोकने के लिए न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) न्यायालय आदेश द्वारा ऐसा निषेधाज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकता है, जैसे कि निषेधाज्ञा की अवधि, लेखा रखना, सुरक्षा देना या अन्यथा, जैसा न्यायालय उचित समझे।

आदेश **XXXIX,** नियम **2A** अवज्ञा या निषेधाज्ञा के उल्लंघन का परिणामः

(1) नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिए गए किसी निषेधाज्ञा या पारित किसी अन्य आदेश की अवज्ञा या उन शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, जिन पर निषेधाज्ञा प्रदान की गई थी या आदेश दिया गया था, निषेधाज्ञा प्रदान करने वाला या आदेश देने वाला न्यायालय, या कोई न्यायालय जिसे वाद या कार्यवाही स्थानांतरित की गई है, ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है, और ऐसे व्यक्ति को तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध रखने का भी आदेश दे सकता है, जब तक कि इस बीच न्यायालय उसकी रिहाई का निर्देश न दे।

(2) इस नियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगी, जिसके अन्त में यदि अवज्ञा या उल्लंघन जारी रहता है, तो कुर्क की गई सम्पत्ति बेची जा सकेगी और प्राप्त आय में से न्यायालय क्षतिग्रस्त पक्षकार को ऐसा प्रतिकर दे सकेगा जैसा वह उचित समझे और शेष राशि, यदि कोई हो, उसके हकदार पक्षकार को देगा।"

8. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने 01.10.2009 को अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें पक्षकारों को वादाधीन संपत्ति की संरचना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप याचिकाकर्ता के विरुद्ध 16.10.2019 को लगाया गया और वाद का निर्णय 31.10.2019 को किया गया है।इस प्रकार, वाद के लंबित रहने के दौरान ही निषेधाज्ञा के उल्लंघन की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वाद खारिज होने के बाद अंतरिम आदेश अपना महत्व खो चुका है, इसलिए आदेश XXXIX नियम 2A के तहत कार्यवाही शुरू करना स्वीकार्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए कार्यवाही जारी रखने का यह मुद्दा हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष श्रीमती लावण्या सी और अन्य बनाम विट्ठल गुरुदास पई, अब एलआरएस और अन्य द्वारा मृत {सिविल अपील संख्या 13999/2024, 05.03.2025 को निर्णीत} के मामले में विचारार्थ आया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हाल ही में श्रीमती लावण्या सी और अन्य बनाम विट्ठल गुरुदास पाई (अब एलआरएस और अन्य द्वारा मृत) के मामले में न्यायालय ने {सिविल अपील संख्या 13999/2024 का निर्णय 05.03.2025 को हुआ} जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः ----

3. आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत आवेदन की रखरखाव पर प्रश्न उठाया गया था।समी खान बनाम बिंदु खान {1998 7 एससीसी 59} के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही निषेधाज्ञा आदेश बाद में अपास्त कर दिया गया हो, फिर भी उसकी अवज्ञा समाप्त नहीं होती है।किसी वाद को बाद में खारिज करने से पक्षकार निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है।इसके अलावा, यह भी देखा गया कि मूल वाद को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज करने के खिलाफ एक अपील भी उच्च न्यायालय में लंबित थी, जिसका आर.एफ.ए. संख्या 592/2017 था।

3.1 विवाद का सार यह है कि 11 जुलाई 2007 को, अपीलकर्ताओं के वकील ने निम्नलिखित ज्ञापन दायर किया:"अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता यह वचन देते हैं कि प्रतिवादियों ने वाद की अनुसूची की संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की है।"

6. कुछ दिनांको को तत्काल वापस लेने की आवश्यकता है।विवाद का विषय अधिवक्ता द्वारा 11 जुलाई 2007 को दिया गया था तथा 13 अगस्त 2007 को दोहराया गया था। विचारण न्यायालय ने 17 नवंबर 2007 को इस तरह के एक अंडरटेकिंग को न्यायालय के आदेश में बदल दिया।इसे नियमित अंतराल पर बढ़ाया गया।

आदेश **XXXIX** नियम **2A** के तहत न्यायालय के अंडरटेकिंग/आदेश के उल्लंघन के लिए आवेदन 2011 में किया गया था।2 अगस्त 2013 को आवेदन को खारिज करने का आदेश दिया गया था।इसके तुरंत बाद, उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई।इस अपील के लंबित रहने के दौरान, मूल वाद पर 2 जनवरी 2017 को निर्णय हुआ।मूल वाद को इस प्रकार खारिज किए जाने के विरुद्ध एक अपील, उस तिथि को उच्च न्यायालय में लंबित थी जिस दिन आक्षेपित निर्णय पारित हुआ था।7.4 समी खान (पूर्वोक्त) में यह देखा गया था किः

"12. परंतु आदेश **XXXIX** के नियम 2–ए के तहत स्थिति अलग है।यदि निषेधाज्ञा आदेश बाद में निरस्त भी कर दिया जाए, तो भी अवज्ञा समाप्त नहीं होती है।यह अलग बात हो सकती है कि यदि आदेश बाद में निरस्त कर दिया जाए, तो ऐसी अवज्ञा की कठोरता कम हो सकती है।निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा के मामले में संपत्ति किस उद्देश्य से कुर्क की जाएगी?उप–नियम (2) में प्रावधान है कि यदि अवज्ञा या उल्लंघन कुर्की की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहता है, तो न्यायालय को कुर्की के अधीन संपत्ति को बेचने और ऐसी विक्रय आय से प्रभावित पक्ष को मुआवजा देने का अधिकार है।"

8. इस न्यायालय के समक्ष आवेदन की व्यवहार्यता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है।यह भी सत्य है कि जिस चुनौती के विरुद्ध आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था, वह आदेश मूल वाद के लंबित रहने के दौरान दिया गया था और इसलिए, वह उस प्रतिबंध से भी बचा हुआ है अतः, ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. नीलम (सुप्रा) के मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील की सुनवाई करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का पालन न करने के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही भी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल वाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री किया गया है, अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया है जबकि वर्तमान मामले में, सिविल मुकदमा लंबित था जब सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 2–ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, इस प्रकार यह मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

10. जहां तक कंवर सिंह सैनी (सुप्रा) में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय का संबंध है, उन्होंने कंडिका संख्या 17 और 18 पर भरोसा किया है जो इस प्रकार है:–––

17. आदेश **XXXIX** नियम **2A** सीपीसी के तहत आवेदन केवल तभी होता है जब आदेश **XXXIX** नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा या आदेश की अवज्ञा/उल्लंघन किया गया हो, जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान स्वाभाविक रूप से लागू होता है।हालांकि, एक बार वाद पर निर्णय सुनाए जाने के बाद, अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, अंतिम आदेश में विलीन हो जाता है। किसी भी वादी को न्यायालय में मामले के लंबित रहने मात्र से कोई लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि अंतरिम

आदेश हमेशा मामले में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश में विलीन हो जाता है और यदि मामला अंततः खारिज कर दिया जाता है, तो अंतरिम आदेश स्वतः ही रद्द हो जाता है।

18. यदि दीवानी वाद में पारित डिक्री की शर्तों का पालन न करने का परिवाद हो, तो पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपाय आदेश XXI नियम 32 सीपीसी के अंतर्गत निष्पादन न्यायालय में जाना है, जिसमें विस्तृत कार्यवाही का प्रावधान है जिसमें पक्षकार अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं और गवाहों की जांच और जिरह कर सकते हैं, जबकि अवमानना की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है।एक बार मुकदमा डिक्री हो जाने के बाद सीपीसी के आदेश **XXXIX** नियम **2A** के अंतर्गत आवेदन स्वीकार्य नहीं है।कानून आदेश **XXI** नियम 32 सीपीसी के अंतर्गत उपलब्ध उपायों को छोड़ने और अवमानना कार्यवाही का सहारा लेने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि जब संबंधित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी और वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं होता है, तो न्यायालय को अधिनियम 1971 के अंतर्गत अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है।इस प्रकार, जब मामला किसी डिक्री या डिक्री आदेश के उल्लंघन से संबंधित होता है, जिसमें पक्षकारों के बीच अधिकार निहित होते हैं, तो अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान और प्रयोग, संक्षेप में, डिक्री के निष्पादन के तरीके के रूप में या केवल इसलिए कि अन्य उपायों में समय लग सकता है या वे अधिक घुमावदार प्रकृति के हैं, समीचीन नहीं है। इस प्रकार, स्थायी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को कार्यवाही के निष्पादन में ठीक किया जा सकता है, न कि अवमानना कार्यवाही में।यह तर्क पूरी तरह से भ्रांतिपूर्ण है कि सी पी सी के आदेश **XXXIX** नियम 2ए के प्रावधानों में डिक्री पारित करते समय दिए गए स्थायी निषेधाज्ञा के उल्लंघन या भंग का मामला भी शामिल होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान मामले में यह स्थिति नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आदेश XXXIX नियम 2A सीपीसी के तहत आवेदन एक बार मुकदमा तय हो जाने के बाद बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि डिक्री धारक के पास आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत उपचार उपलब्ध है जो डिक्री का पालन करने का अवसर प्रदान करता है और वह जानबूझकर डिक्री का पालन करने में विफल रहा है और डिक्री को संपत्ति की कुर्की या सिविल जेल में हिरासत में लेकर या दोनों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह प्रावधान आगे यह भी प्रदान करता है कि संपत्ति की कुर्की द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के मामले में या संविदा के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के मामले में।वर्तमान मामले में, चूंकि वाद के लंबित रहने के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, इसलिए इस निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।

12. जहां तक सुखदेव प्रसाद (सुप्रा) में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय का संबंध है, उन्होंने कंडिका 38 पर भरोसा किया है जो इस प्रकार है:---

38. संहिता के आदेश XXXIX, नियम 2A के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति दंडात्मक प्रकृति की है, जो न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत दीवानी अवमानना के लिए दंडित करने

की शक्ति के समान है।अवज्ञा या उल्लंघन की शिकायत करने वाले व्यक्ति को बिना किसी संदेह के स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आवेदन किया गया है, उसे कोई विशिष्ट कार्य या कार्य करने या न करने का निर्देश देने वाला कोई निषेधाज्ञा या आदेश था और ऐसे आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन हुआ था।आदेश XXXIX नियम **2A के अंतर्गत किसी आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय उस आदेश की, जिसके संबंध में अवज्ञा/उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, यह व्याख्या नहीं कर सकता कि यह आदेश, संदेह और अनुमान के आधार पर, ऐसा कुछ करने के लिए बाध्यता उत्पन्न करता है जिसका उल्लेख 'आदेश' में नहीं है।नियम 2 ए के तहत शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी तथा जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।"**

13. उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि किसी भी निर्णय में उस स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है, जहां वाद के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही शुरू की गई हो और बाद में प्रतिवादी के पक्ष में मुकदमा नहीं सुनाया गया हो, इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर अलग करने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती लावण्या (सुप्रा) में निर्धारित उपरोक्त विधि के तहत और वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करना सिविल वाद को खारिज करने के बाद भी बनाए रखने योग्य है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 2–ए के तहत आवेदन पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एमजेसी संख्या 150/2019 दर्ज करने में कोई अवैधता या विकृतता नहीं की है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वारंट है।

15. जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता ने वाद भूमि की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया है, अतः दिनांक 01.10.2009 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, यह साक्ष्य का विषय है जिसे केवल विद्वान विचारण न्यायालय ही प्रमाणित कर सकती है। अतः, मुझे वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं दिखता है। तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इसके द्वारा खारिज की जाती है।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण–दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।यह विचारण न्यायालय का काम है कि वह मामले का निर्णय उसके गुण–दोष, साक्ष्य, अभिलेख में रखी गई सामग्री के आधार पर करे, बिना इस तथ्य से प्रभावित हुए कि निषेधाज्ञा आदेश के कथित उल्लंघन के लिए मामले के पंजीकरण के विरुद्ध कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

17. इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur